

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़/सादूलशहर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेंन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 05-11-2021 को मेरे द्वारा लिखवाजाकर खुलेन्यायालय में सुनाया गया।



मिलान किया

प्रमाणित प्रतिलिपि

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

(सचिव के यत्न से)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official